औद्योगिक विकास हेतु चेक लिस्ट

<u>औद्योगिक प्रयोजन हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्नक आवश्यक दस्तावेजों की चेक लिस्ट</u>

1. अनुज्ञा का आवेदन पत्र जो निर्धारित प्रारूप में वांछित दस्तोवेजों सहित समस्त प्रविष्ठियों के साथ पूर्णतः भरा हो ।
2. छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 21 के अनुसार विहित शुल्क ।
3. भूमि स्वामित्व के अभिप्रमाणित दस्तावेज जो आवेदनकर्ता के नाम से हो।
   - (अ) रजिस्ट्री/लीजडीड फर्म/कम्पनी की स्थिति में सत्यप्रति एवं मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन की प्रति।
   - (ब) बी–1 की मूल प्रति ।
   - (स) खसरा नक्शा।
4. सीमांकन प्रतिवेदन की मूल प्रति (खसरा नक्शा बटांकन करवाकर) ।
5. अभिन्यास की पांच प्रतियां ।
6. पृथक से खसरा नक्शा पर सुपरइम्पोज अभिन्यास की प्रति ।
7. जिला उद्योग केन्द्र का पंजीयन ।
8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ।
9. पर्यावरण संरक्षण मण्डल के द्वारा जारी उद्योग स्थापना हेतु सहमति ।
10. भवन निर्माण मानचित्र की एक प्रति ।
11. पार्किंग प्लान, सर्विस प्लान जिसे अभिन्यास में दर्शाया गया हो ।
12. सर्वे प्लान 1:1000/1:500 स्केल पर भूमि के 200 मीटर तक चारों ओर का क्षेत्र को दर्शाते हुए मानचित्र ।
13. स्थल तक पहुंच मार्ग की स्पष्ट स्थिति, यदि भूमि सार्वजनिक/शासकीय भूमि/मार्ग से लगी है तो संबंधित विभाग की सहमति।
14. नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि नजूल भूमि हो तो।
15. छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 26 के अनुसार निर्धारित योग्यता वाले संबंधित इंजीनियर/वास्तुविद्/नगर योजनावार की अनुज्ञाप्ति तथा स्थानीय निकाय अथवा नगर निवेश विभाग में पंजीयन का जीवंत प्रमाण–पत्र ।
16. भूमि उपयोग की जानकारी विकास योजना/वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अनुसार।
17. अतिरिक्त जानकारी :–

    निम्नलिखित परिस्थितियों में अतिरिक्त दस्तावेजों/जानकारी संलग्न करें :–

(1) यदि भूमि किसी नाले/नहर/नदी/जलप्रवाह से लगी हुई है तो :–

   (1) जल संसाधन विभाग/राजस्व विभाग की अनापत्ति।

   (2) जल संसाधन विभाग से उच्च बाढ़ बिन्दु की जानकारी।

   (3) यदि आवेदक किसी नहर पर पुल बनाने या प्रस्ताव दे रहा है तो क्या सिंचाई विभाग की अनापत्ति संलग्न है।

   (4) यदि आवेदक नहर के किनारे से लगकर मार्ग प्रस्तावित कर रहा है तो क्या सिंचाई विभाग की अनापत्ति संलग्न है।

(2) यदि भूमि नेशनल हाइवे या लोक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क जिनका मुख्यालय या ब्लाक मुख्यालय या अन्य सार्वजानिक लोक महत्व के स्थान से जोड़ने वाली हो तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

(3) यदि पूर्व में कोई अनुज्ञा प्राप्त की गई है तो कालोनाइजर नियम तथा छ0ग0 ग्राम तथा नगर निवेश अधिनियम/भूमि विकास नियम का उल्लंघन नहीं किए जाने का शपथ–पत्र एवं संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

(4) यदि भूमि उच्च दाब/निम्न दाब लाइन के नीचे है तो लाइन शिफ्टिंग के लिए छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कम्पनी की सहमति ।

(5) आवासीय कालोनी की दशा में :–

   (1) बोर द्वारा पानी उपलब्धता की स्थिति में जल उपलब्धता/बोर खनन की अनापत्ति लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/नगर निगम/जिला कलेक्टर की अनापत्ति।

   (2) विद्युत प्रदाय हेतु विद्युत वितरण कम्पनी की सहमति।

(6) यदि आवेदक को पूर्व में कोई अनुज्ञा जारी की गयी है तो अनुज्ञा की छायाप्रति।

(7) आवेदक द्वारा पूर्व में कोई कालोनी विकास किया गया है तो कालोनी विकास अनुज्ञा की छायाप्रति तथा पूर्णता प्रमाण पत्र यदि विकास कार्य पूर्ण हो गया हो तो।

<u>नोट</u> : उपरोक्तानुसार दस्तावेज एवं आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर मान्य नहीं किया जावेगा।

<u>संयुक्त संचालक/ उपसंचालक/सहायक संचालक के आदेशानुसार/–</u>